

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 568]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 8 दिसम्बर 2014—अग्रहायण 17, शक 1936

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 8 दिसम्बर 2014

क्र. 23430-वि.स.-विधान-2014.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 59 के अधीन अध्यक्ष महोदय ने मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-7) विधेयक, 2014 (क्रमांक 26 सन् 2014) को उससे संबद्ध उद्देश्यों एवं कारणों के विवरण सहित मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित करने का आदेश दिया है. तदनुसार यह विधेयक तथा उद्देश्यों और कारणों का विवरण जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २६ सन् २०१४

मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-७) विधेयक, २०१४

वित्तीय वर्ष २०१४-२०१५ की सेवाओं के लिये मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय तथा विनियोग को प्राधिकृत करने के लिये विधेयक.

भारत गणराज्य के पैसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-७) अधिनियम, २०१४ है.

वित्तीय वर्ष २०१४-१५ के लिये राज्य की संचित निधि में से ८६,५१,६८,३२,००० रु. का दिया जाना.

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के स्तम्भ (३) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियाँ, जिनका कुल योग रु. आठ हजार छः सौ इक्कावन करोड़ अड़सठ लाख बत्तीस हजार होता है, उन विभिन्न प्रभागों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के स्तम्भ (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों की बाबत वित्तीय वर्ष २०१४-२०१५ के दौरान दिये जाने होंगे, दी और उपयोजित की जा सकेगी.

विनियोग.

३. इस अधिनियम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियाँ, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिये विनियोजित की जाएंगी.

अनुसूची
(धारा २ और ३ देखिये)

(१) अनुदान का संख्यांक	(२) सेवायें और प्रयोजन	(३) निम्नलिखित से अनधिक राशियाँ		
		विधान सभा द्वारा अनुदत्त रुपये	संचित निधि पर भारत रुपये	योग रुपये
	भारत विनियोग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	राजस्व ०	३,७९,१६,८९,०००	३,७९,१६,८९,०००
०१.	सामान्य प्रशासन एवं लोक सेवा प्रबंधन	राजस्व ५७,७२,०५,२००	८,८७,९५,०००	६६,६०,००,२००
०२.	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व २५,००,०००	०	२५,००,०००
०३.	पुलिस	राजस्व ३५,३६,४४,५०० पूँजी १००	४०,००,००० ०	३५,७६,४४,५०० १००
०४.	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व २४,००,०००	०	२४,००,०००

(१)	(२)	(३)			
		रुपये	रुपये	रुपये	
०५.	जेल	राजस्व	४,८०,११,१००	०	४,८०,११,१००
०६.	वित्त	राजस्व	५७,५०,०००	०	५७,५०,०००
		पूँजी	३,००,००,००,०००	०	३,००,००,००,०००
०७.	वाणिज्यिक कर	राजस्व	७,५०,०००	०	७,५०,०००
		पूँजी	७,९०,०००	०	७,९०,०००
०८.	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	राजस्व	९,७९,६३,५००	०	९,७९,६३,५००
०९.	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	५०,००,०००	०	५०,००,०००
१०.	वन	राजस्व	२६,०९,५९,२००	०	२६,०९,५९,२००
११.	वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	राजस्व	१,४५,२५,००,१००	२२,२०,०००	१,४५,४७,२०,१००
१२.	ऊर्जा	राजस्व	१२,२०,००,००,०००	०	१२,२०,००,००,०००
		पूँजी	२६,५०,००,००,०००	०	२६,५०,००,००,०००
१३.	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	राजस्व	६०,६२,५०,०००	०	६०,६२,५०,०००
		पूँजी	२५,००,००,००,०००	०	२५,००,००,००,०००
१४.	पशुपालन	राजस्व	२९,२९,१६,०००	१,००,०००	२९,३०,१६,०००
१५.	अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राजस्व	१,३०,००,०००	०	१,३०,००,०००
१७.	सहकारिता	राजस्व	८,६५,०००	०	८,६५,०००
		पूँजी	४९,०७,००,०००	०	४९,०७,००,०००
१८.	श्रम	राजस्व	७६,४८,०००	०	७६,४८,०००

(१)	(२)	(३)		
		रुपये	रुपये	रुपये
१९.	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण			
	राजस्व	१००	०	१००
	पूँजी	२९,४५,००,१००	०	२९,४५,००,१००
२०.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी			
	राजस्व	१०,००,०००	०	१०,००,०००
२१.	आवास एवं पर्यावरण			
	राजस्व	९,१०,००,०००	०	९,१०,००,०००
	पूँजी	५,००,००,०००	०	५,००,००,०००
२३.	जल संसाधन			
	राजस्व	१,६०,००,०००	०	१,६०,००,०००
	पूँजी	३,३२,००,००,१००	०	३,३२,००,००,१००
२४.	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल			
	राजस्व	१,७४,००,००,१००	०	१,७४,००,००,१००
	पूँजी	२,४०,००,००,९००	०	२,४०,००,००,९००
२५.	खनिज साधन			
	राजस्व	१,३०,००,१००	२,४८,२९,००,०००	२,४९,५९,००,१००
२६.	संस्कृति			
	राजस्व	५१,८३,५०,०००	०	५१,८३,५०,०००
२७.	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)			
	पूँजी	५३,२५,००,०००	०	५३,२५,००,०००
२८.	राज्य विधान मंडल			
	राजस्व	१,९०,०००	०	१,९०,०००
२९.	विधि और विधायी कार्य			
	राजस्व	२३,६२,४८,०००	५,७०,६१,०००	२९,३३,०९,०००
३०.	ग्रामीण विकास			
	राजस्व	१८,८८,७३,०००	०	१८,८८,७३,०००
३१.	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी			
	राजस्व	७,२८,४४,९००	०	७,२८,४४,९००

(१)	(२)	(३)			
		रुपये	रुपये	रुपये	
३२.	जनसंपर्क	राजस्व	११,४८,००,०००	०	११,४८,००,०००
३३.	आदिम जाति कल्याण	राजस्व	१,५०,१००	०	१,५०,१००
३४.	सामाजिक न्याय	राजस्व	७१,२३,०००	०	७१,२३,०००
३७.	पर्यटन	पूंजी	५२,००,००,०००	०	५२,००,००,०००
३९.	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	राजस्व	३,२२,१०,१९,०००	०	३,२२,१०,१९,०००
		पूंजी	१,००,७४,१४,०००	०	१,००,७४,१४,०००
४०.	जल संसाधन विभाग से संबंधित व्यय-आयाकट	राजस्व	३०,००,०००	०	३०,००,०००
		पूंजी	१७,७०,००,०००	०	१७,७०,००,०००
४१.	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	राजस्व	७९,३२,२८,४००	०	७९,३२,२८,४००
		पूंजी	२२,८८,७५,१००	०	२२,८८,७५,१००
४२.	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	पूंजी	१,७०,००,००,१००	०	१,७०,००,००,१००
४३.	खेल और युवक कल्याण	राजस्व	१,००,००,१००	०	१,००,००,१००
४४.	उच्च शिक्षा	राजस्व	३१,१४,००,०००	०	३१,१४,००,०००
४५.	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	पूंजी	२,७०,००,००,०००	०	२,७०,००,००,०००
४७.	तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	राजस्व	३५,७८,५०,०००	०	३५,७८,५०,०००
		पूंजी	२५,२६,२५,०००	०	२५,२६,२५,०००

(१)	(२)	(३)			
		रुपये	रुपये	रुपये	
४८.	नर्मदा घाटी विकास	राजस्व	२७,००,०००	०	२७,००,०००
		पूंजी	१,४६,००,१००	०	१,४६,००,१००
४९.	अनुसूचित जाति कल्याण एवं विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण	राजस्व	२,५७,०००	०	२,५७,०००
५१.	धार्मिक न्यास और धर्मस्व	राजस्व	६,१०,००,०००	०	६,१०,००,०००
५२.	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राजस्व	८०,७८,३५,०००	०	८०,७८,३५,०००
५४.	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	राजस्व	५०,००,०००	०	५०,००,०००
५५.	महिला एवं बाल विकास	राजस्व	३८,४०,६८,०००	०	३८,४०,६८,०००
		पूंजी	१३,५२,००,०००	०	१३,५२,००,०००
५६.	ग्रामोद्योग	राजस्व	१,००,००,३००	०	१,००,००,३००
५८.	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	राजस्व	८८,१४,५०,२००	०	८८,१४,५०,२००
५९.	ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	राजस्व	१०,००,००,०००	०	१०,००,००,०००
६०.	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय	पूंजी	५,२७,२०,८००	०	५,२७,२०,८००
६२.	पंचायत	राजस्व	३,००,०००	०	३,००,०००

(१)	(२)	(३)			
		रुपये	रुपये	रुपये	
६३.	अल्पसंख्यक कल्याण	राजस्व	१४,५०,०००	०	१४,५०,०००
६४.	अनुसूचित जाति उपयोजना	राजस्व	८०,८७,४६,७००	०	८०,८७,४६,७००
		पूँजी	१,१५,७६,४०,८००	०	१,१५,७६,४०,८००
६६.	पिछड़ा वर्ग कल्याण	राजस्व	६,२५,००,१००	०	६,२५,००,१००
		पूँजी	७,११,००,०००	०	७,११,००,०००
६७.	लोक निर्माण कार्य-भवन	राजस्व	६१,५८,८०,०००	०	६१,५८,८०,०००
		पूँजी	१६,३०,५८,९००	०	१६,३०,५८,९००
७२.	भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास	राजस्व	८३,८०,१००	०	८३,८०,१००
७३.	चिकित्सा शिक्षा	राजस्व	२३,१३,७५,०००	०	२३,१३,७५,०००
७४.	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राजस्व	५,३२,९६,३९,१००	०	५,३२,९६,३९,१००
७६.	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	राजस्व	१,००,०००	०	१,००,०००
७७.	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	राजस्व	१३,७२,२०,१००	०	१३,७२,२०,१००
७८.	सिंहस्थ २०१६ से संबंधित व्यय	राजस्व	२,००,००,००,०००	०	२,००,००,००,०००
	योग :	राजस्व	३५,०७,१३,४१,०००	६,४२,६७,६५,०००	४१,४९,८१,०६,०००
		पूँजी	४५,०१,८७,२६,०००	०	४५,०१,८७,२६,०००
	वृहद योग :		८०,०९,००,६७,०००	६,४२,६७,६५,०००	८६,५१,६८,३२,०००

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद २०५ के साथ पठित उसके अनुच्छेद २०४(१) के अनुसरण में मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग का उपबंध करने हेतु पुरःस्थापित किया जा रहा है, जो वित्तीय वर्ष २०१४-२०१५ के लिये मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय और मध्यप्रदेश सरकार के व्यय के लिये विधान सभा द्वारा किये गये अनुदानों की पूर्ति के लिये अपेक्षित है.

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :

तारीख : ६ दिसम्बर, २०१४

जयंत मलैया

भारसाधक सदस्य.

“संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.”

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.